

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

रामस्वरूप बनाम राज ११०/११

प्रकरण संख्या-

४/२०१६

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक

२६/१/२०१५

पक्षवती पेश की वकील श्री ६१२ छात्रिका
की न्यायालय को पालना में
निर्णय राप्प राशि जमा करवाने
के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया
गया है। प्रार्थना पत्र में
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय, जयपुर

राजस्व वाद संख्या- 115/09

बनाम राज0 सरकार

रामस्वरूप शर्मा व अन्य

प्रार्थना पत्र वास्ते पालनार्थ निर्णय व आदेश दिनांक 29.01.2011

न्यायालय हाजा

- मान्यवर,
- प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-
- 1- यह कि उक्त उनवानी दावा प्रार्थी रामस्वरूप शर्मा व सत्यनारायण शर्मा ने न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया था, जिसमें सत्यनारायण का दिनांक 22.01.2013 को देहान्त हो गया। सत्यनारायण के किरसान में 5 पुत्र रामपाल शर्मा, रामसय शर्मा, बोदूराम शर्मा, प्रभू नारायण शर्मा, व हनुमान शर्मा है।
 - 2- यह कि न्यायालय हाजा ने यह आदेश दिया है कि तहसीलदार सांगानेर को मूल विनिमय पत्र भेजा जाकर नियमानुसार पंजीयन राशि, रटाम्प राशि वसूली जाकर विनिमय का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।
 - 3- यह कि प्रार्थीगण निर्णय की नकल व विनिमय पत्र की नकल इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहे हैं ताकि विनिमय पत्र

रामस्वरूप शर्मा

२१५०/११